राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्र/रीडर/2024/941/2023

दिनांक 13.05.2024

निमित,

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :– मु.न. 941/2023 अनवान शंकर सिंह पिता खान सिंह राजपुत निवासी नाथूण तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा में अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. ए. के निर्णय की पालना के संबध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में ग्राम नाथूण पटवार हल्का धौड भु. अ. क्षेत्र शक्करगढ तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा में आ.न. 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 475, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488 कुल किता 20 रकबा 5.9654 हैक्टेयर में खातेदार कान सिंह पिता भुवानी सिंह राजपुत की बजाय खान सिंह पिता भुवान सिंह जाति राजपुत दर्ज किये जाने का आदेश हुये है। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

(सुरेन्द्र बी. पाटीदार)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (शाहपुरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

इजलास – श्री सुरेन्द्र बी.पाटीदार, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 941 / 2023
दायर दिनांक :– 27.09.2023

अनवान

शंकर सिंह पिता खान सिंह राजपुत निवासी नाथूण तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा

प्रार्थीया.........

बनाम

तहसीलदार जहाजपुर तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा

अप्रार्थी..............

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री शैतान सिंह राणावत, एड्वोकेट प्रार्थी,

:: आदेश :: दिनांक 13.05.2024

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नाथूण पटवार हल्का धौड भु.अ. क्षेत्र शक्करगढ तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा में आ.न. 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 475, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488 कुल किता 20 रकबा 5.9654 हैक्टेयर में खातेदार कान सिंह पिता भुवानी सिंह राजपुत निवासी नाथूण तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा हिस्सा 1/4 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं, जिसमे प्रार्थी कान सिंह पिता भुवानी सिंह की बजाय खान सिंह पिता भुवान सिंह राजपुत दर्ज करवाना चाहता है।

16 ग्राम नाथूण पटवार हल्का धौड भु. अ. क्षेत्र शक्करगढ तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा में आ.न. 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 475, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488 कुल किता 20 रकबा 5.9654 हैक्टेयर खातेदार पैरा संख्या एक में वर्णित कृषि भूमी खातेदार कान सिंह पिता भुवानी सिंह राजपुत के नाम दर्ज है। कान सिंह पिता भुवानी सिंह राजपुत की मृत्यु के बाद वारिस शंकर सिंह पिता खान सिंह राजपुत उक्त वर्णित कृषि भूमी पर अबाध्य रुप से अपनें हिस्सें पर कब्जा कास्त होकर अबाध्य रुप से लगातार कास्त करवाता आ रहा हैं। प्रार्थी के पिता के नाम विरासत से खाता रदोबदल के समय खान सिंह पिता भुवान सिंह राजपुत की बजाय कान सिंह पिता भुवानी सिंह राजपुत कर दिया जो कि राजस्व अधिकारीयो ने बिना विधीक जानकारी कियें कान सिंह पिता भुवानी सिंह राजपुत नाम सें खाता खोला गया जो विधिक भूल रही जब की प्रार्थी के पिता के समस्त सरकारी दस्तावेंज जेंसें राशनकार्ड, आधारकार्ड, मृत्यु
5-1 प्रमाण पत्र इत्यादी में सही नाम खान सिंह पिता भुवान सिंह राजपुत है। राजस्व रेकार्ड मे कान सिंह पिता भुवानी सिंह राजपुत कें नाम से खाता खोला गया जिससे प्रार्थी के पिता कों सरकार से प्राप्त किसान सहायता यॉजना व अन्य मदद से वंचित रहना पड़ता है।

प्रार्थी पैंरा संख्या एक में वर्णित कृषि भूमी पर कृषि ऋण वास्तें बैंक से सर्म्पक किया तों राजस्व रेकार्ड मे कान सिंह पिता भुवानी सिंह राजपुत नाम हॉने व जबकी पहचान हेतु समस्त सरकारी दस्तावेजों में जेंसे राशनकार्ड, आधारकार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादी में खान सिंह पिता भुवान सिंह राजपुत होने से बैंक ने कृर्षि भूमी पर कृषि ऋण देने से मना कर दिया जिससें वादीया कारण उत्पन होकर जारी हैं। प्रार्थी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्व किसी प्रकार दाद अनुतोष नही चाहा हैं। केवल प्रार्थी के पिता का नाम कान सिंह पिता भुवानी सिंह राजपुत की बजाय खान सिंह पिता भुवान सिंह जाति राजपुत करवाना चाहता है। उक्त वर्णित

119

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

के पिता का नाम कान सिंह पिता भुवानी सिंह के नाम से खाता खोला गया जिसें प्रार्थी के सिंह पिता भुवानी सिंह राजपुत के बजाय खान सिंह पिता भुवान सिंह राजपुत दर्ज करवाना चाहता राजस्व रेकार्ड में कान सिंह पिता भुवानी सिंह राजपुत की बजाय खान सिंह पिता भुवान सिंह राजपुत कियें जाने की राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने का आदेश पारित कराना फरमावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी तहसीलदार जहाजपुर के पत्रांक/राजस्व/2024/525 दिनाक 03.04.2024 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जो पत्रावली में संलग्न है, जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम के दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र में प्रार्थी के पिता का नाम खान सिंह पिता भुवान सिंह राजपुत होना बताया है। उक्त दस्तावेजो के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में कान सिंह पिता भुवानी सिंह राजपुत की बजाय खान सिंह पिता भुवान सिंह जाति राजपुत शुद्व किया जाना उचित बताया गया।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के पिता का नाम कान सिंह पिता भुवानी सिंह राजपुत की बजाय खान सिंह पिता भुवान सिंह राजपुत नाम में शुद्धि कराये जाने के संबध में तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम कान सिंह पिता भुवानी सिंह राजपुत की बजाय खान सिंह पिता भुवान सिंह राजपुत दर्ज कर शुद्ध किया जाना उचित है, जिससें न्यायालय प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम नाथूण पटवार हल्का धौड भु. अ. क्षेत्र शक्करगढ तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा में आ.न. 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 475, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488 कुल किता 20 रकबा 5.9654 हैक्टेयर में खातेदार कान सिंह पिता भुवानी सिंह राजपुत की बजाय खान सिंह पिता भुवान सिंह राजपुत दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र बी.पाटीदार)
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

13.3.24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित है/नहीं है।
आज पीठासीन अधिकारी महो. अन्य राजकार्य मे व्यस्त है।/दौरे में है।/अवकाश में है।
अत:पत्रावली दिनांक 7.5.24 को पेश हो।

रीडर
न्यायालय एस.डी.ओ., जहाजपुर

7.5.24

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। तहसीलदार [illegible] रिपोर्ट को शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बाद आदेश पत्रावली आगामी दिनांक 13/5/24 को पेश हो।

13/5/24

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता, उप०। बहस सुनी गई। निर्णय पृथक से लिखाया गया जो शा० पं० हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] हो।